GOVERNMENT BILLS

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up further discussion on The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008. Shri Parvez Hashmi.

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : सर, मैं The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008 जो हाउस में टेबल हुआ है, उसके सपोर्ट में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हूं। जो हमारा 1957 का पुराना ऐक्ट है, उसमे बहुत सी कमियां हैं। जिस तरह से coal blocks के अंदर आजकल यह देखने को मिल रहा है कि कोल के ब्लॉक्स तो सरकार के पास कम हैं लेकिन उसके applicants बहुत ज्यादा होते हैं। जब screening committee कुछ लोगों को ब्लॉक्स allocate कर देती है तो उसके बाद allegations लगने शुरू हो जाते है कि इन्होंने मनमानी की है। दूसरा, coal blocks की जो ज्यादा तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी हो गया था कि इस तरह का बिल हाउस में लाया जाए। इसके अलावा इस बिल के आने से एक और बड़ी चीज़ होगी। लोग यह कहते थे कि पुरानी बिल के अंदर transparency नहीं थी, जिसको ब्लॉक मिल जाता था, वह खुश हो जाता था और जिसको ब्लॉक्स नहीं मिलते थे, वह सरकार पर allegations लगाने शुरू कर देता था। जो कोल माइन्स थी, जो एरिया consign था या जहां पर कोल माइनिंग की जाती है, वहां पर लोग कोल माइनिंग करने के बाद इसका ख्याल नहीं रखते थे कि वहां जो लोग रहते हैं, जो वहां के residents हैं या जो वहां लेबर्स हैं, उनकी हैल्थ को क्या नुकसान हो रहा है। उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को न देखना, उस एरिया का जो डेवलपमेंट है, उसकी तरफ ध्यान न देना...। और माइन एंवॉयरमेंट को पौल्यूट करके छोड़कर चले जाना, यह एक सिस्टम चला जा रहा था। उपसभापति महोदय, इसके लिए माइन की जो रॉयल्टी आती थी वह रॉयल्टी सीधे-सीधे स्टेट गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू के क्रेडिट की जाती थी और इस तरह जनरल रेवेन्यू के अंदर इसको जमा कर दिया जाता था। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, बजाए इसके कि उस पैसे को जो माइन्स की जा रही है, उस एरिया के डेवलपमेंट में, उन गरीबों की हैल्थ की तरफ लगाए, परन्तु उस पैसे को वहां नही लगाया जाता था इसलिए इस बिल को लाने की जरूरत महसूस हुई। दूसरा, इस बिल को लाने के बाद रॉयल्टी का जो फायदा है, उस पर्टिकुलर एरिया को होगा जहां पर माइनिंग की जा रही है। उपसभापति महोदय, माइनिंग करने के बाद लोग उस एरिया को बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोवाइड किए और बिना लेबर को कोई फेसिलिटी

दिए छोड़कर चले जात थे, यही वजह है कि लोकल लोग इस माइनिंग को अपोज करते थे और इस अपोजिशन की वजह सिर्फ यही थी कि उन्हे पता है कि लोग आएंगे, यहां माइनिंग करेंगे, अपना फायदा उठाएंगे और एरिया को डेस्ट्रॉय करके, एंवॉयरमेंट को डेस्ट्रॉय करके यहां से चले जाएंगे। इस कारण से लोगों में रिसेंट होता था, लोग इसे अपोज करते थे और यही वजह है कि जो आंकड़े अभी हमारे सामने आए कि 165 माइंस ब्लॉक्स गवर्नमंट ने एलोकेट किए, जिनमें से सिर्फ 13 मे काम हो पाया, बाकी जगह एंवॉयरमेंट प्रोब्लम रही, लोगों का रिसेटमेंट रहा जिसकी वजह से पूरी तरह से माइनिंग का काम नही हो पाया और 165 में से 13 जगहों पर ही माइनिंग स्टार्ट हो पाई। उपसभापति महोदय, अब इस बिल के आने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद इसमें ट्रांसप्रेंसी आएगी। इसमे दो तरह की बीडिंग होगी, पहले टेक्निकल बिडिंग होगी। टेक्निकल बिडिंग से देखा जाएगा कि जो लोग माइंस ले रहे है क्या वे इस लायक भी हैं कि वे माइनिंग कर सकें, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है या नही, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर केपेसिटी उसके बराबर है या नही?

दूसरा, जो सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें टेक्निकल बिड के बाद कम्पटीटिव बिडिंग होगी, जिसमें कोई भी XYZ आदमी जाकर माइंस में बिड करके इसको ले सकता है और लेने के बाद उसकी रेस्पांसिब्लिटी यह होगी कि जिस क्षेत्र में वह माइनिंग कर रहा है, वहां के एंवॉयरमेंट का ख्याल रखे और वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी सेहत का, उनके एरिया के डवलपमेंट का ख्याल रखे और जो भी वहां से अर्निंग होगी, उसमें से काफी कुछ पैसा, जैसा कि कल हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि इसके प्रोफिट का 26 परसेंट पैसा, उन लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनकी हैल्थ पर और उनके डेवलपमेंट पर लगाया जाएगा। इससे क्या होग कि जो हमारे ब्लॉक्स एलोकेट हो रहे हैं, उनमें काम ज्यादा होगा, बजाए इसके कि 165 ब्लॉक्स में से 13 ब्लॉक्स में माइनिंग का काम शुरू हुआ हो, जब इस तरह का कंप्टीशन होगा, कम्पनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे का होगा, कम्पनी लोगों को फेसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो ज्यादा से ज्यादा माइनिंग का काम उसमें हो पाएगा और इससे एक्सट्रा ऑर्डिनरी इकॉनोमी बूम मिलेगा। उपसभापति महोदय, जितनी ज्यादा माइनिंग होगी उतना ज्यादा हमको इकॉनोमी में बून मिलेगा और इकॉनोमी में ऐनहांसमेंट होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही रही है कि ज्यादा से ज्यादा डवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया का और वहां रहने वालों का अपलिफ्टमेंट हो। इस बिल को लोकल रेजीडेंट्स और लोकल कम्पनीज से सपोर्ट मिलने के बाद, जो हमारी काफी परेशानी चली आ रही थी कि माइनिंग कम हो रही है, उसमें बढ़ोत्तरी होगी और लोकल कम्पनीज वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और लोगों के रहन-सहन पर ज्यादा ध्यान देंगी।

उपसभापति महोदय, जैसा कि अभी हमारे सीनियर कुलीग आर.सी. सिंह साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि कोयला खैरात में नहीं बंटना चाहिए, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले यह चीज थी, लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद कोयले के अंदर और ज्यादा ट्रांसप्रेंसी आएगी। कोयला या जो दूसरी भी माइंस हैं, उनके अंदर भी ज्यादा ट्रांसप्रेंसी आएगी, काम ज्यदा तेजी से होगा। ज्यादा ट्रांसपरेंस होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने 28 माइन्स अलोकेट की, ब्लॉक्स अलोकेट की, उनमें से 7 या 8 में ही काम शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। हमने 65 माइन्स एलोकेट की हैं, उनमें से 13 के अंदर काम शुरू हुआ है।

उपसभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सीनियर कुलीग अहलुवालिया जी ने भी कहा है कि झारखंड के अंदर "ए" ग्रेड का कोयला मौजूद है। मैं चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट के बाद सरकार "ए" ग्रेड का कोयला या अच्छी क्वालिटी का कोयला बाहर से इम्पोर्ट करने के बजाय, जो झारखंड में हमारे पास स्टाक है, उसका इस्तेमाल करे। वह उसका सर्वे कराये, उसकी स्टडी कराये और उसकी स्टडी कराने के बाद, वहां के कोल को देखे, स्टील और आयरन जो फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है।

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस नये अमेंडमेंट के एक क्लाज ऐसी भी है कि अगर आप ब्लॉक का मिसयूज कर रहे हैं या जो माइनिंग आप कर रहे हैं, उसका सही यूज़ नहीं कर रहे हैं अथवा आप शैड्यूल को अडाप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको कैंसिल करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी। यदि आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है और आपके इस एग्रीमेंट को set aside कर सकती है।

उपसभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट आ रहा है, इसको प्लानिंग कमीशन ने सपोर्ट किया है। उसका मानना है कि इस तरह के अमेंडमेंट से देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को, उस एरिया के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और देश की इकनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा माइनिंग होगी, उतना ही कम इम्पोर्ट हमको करना पड़ेगा।

उपसभापति महोदय, इसके बारे में कुछ स्टेट्स ने अपने आब्जेक्शन दिए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ने कहा है कि स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ छत्तीसगढ़ के बाहर चली जाएंगी। जब 165 ब्लाक अलोकेट हो रहे हैं और 13 के अंदर माइनिंग हो रही है तब तो वे बाहर नहीं गए। हम वहां पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वहां के लोगों के अंदर एक कांफीडेंस बिल्ड-अप करेंगे कि जहां भी माइनिंग हो रही है, वहां उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की

जाएगी, तो इससे माइनिंग ज्यादा होगी, चाहे स्टील फैक्ट्रीज हों, चाहे आयरन फैक्ट्रीज हों, उन्हें वहां पर कोयला ज्यादा मिलेगा और वे बाहर जाने के बजाए वहां पर रहना प्रेफर करेंगी।

उपसभापति महोदय, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक आब्जेक्शन यह किया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल पावर होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को इससे फायदा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जो एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में नहीं है। एक स्टेट में अनाज हो रहा है और दूसरी स्टेट में नहीं हो रहा है। यह देश की एक सम्पत्ति होती है, चाहे वह माइन्स हो या और कोई चीज हो। वे सेंट्रल गवर्नमेंट की सम्पत्ति हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को अलोकेट कर रही है, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

उपसभापति महोदय, एक ऑब्जेक्शन बंगाल गवर्नमेंट ने भेजा था, जिसमें उसने कहा कि अगर इस अमेंडमेंट को पास किया गया, तो इसका पावर जेनरेशन पर असर पड़ेगा। महोदय, पावर जेनरेशन में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि पावर जेनरेशन के अंदर किसी भी तरह के कोल का इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि जब कम्पीटीशन ज्यादा होगा, ओपन कम्पटीशन होगा, ओपन प्रोडक्शन होगा, तो इससे पावर जेनरेशन कम नहीं होगा, बल्कि कोल आसानी से मिलेगा और जब कोल आसानी से मिलेगा, तब पावर जेनरेशन बढ़ेगा। इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा।

उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो अमेंडमेंट हाउस के अंदर आया है, यह हमारी कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस की प्रोग्रेसिव नीति है या जो गरीबों के अपलिफ्टमेंट की नीति है, कांग्रेस की जो यह नीति है कि अगर गरीब से कोई चीज़ ली जाए, तो गरीब को भी उसका हक मिलना चाहिए, यह उसके लिए फायदेमंद है। पुराने तरीके से जो कोल ब्लाक्स का मिसयूज कर रहे थे और इसके लिए सरकार पर भी ऐलिगेशन लग रहे थे, वे इससे दूर होंगे और इससे एक बड़ा बूस्ट हमारी इकोनॉमी को मिलेगा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (BIHAR): Sir, today, we have got together to discuss the Mines Act, 1957, which stands amended by this Bill. There are three basic features as mentioned in the Statement of Objects and Reasons but the whole purpose is to amend Section 11(A), and, the procedure, which is being introduced, is of 'auction'.

महोदय, यदि हम बिल को ध्यान में देखें, तो पता चलेगा कि अभी तक इस बिल का जो प्रावधान था और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके अनुसार इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो इसमें auction की प्रक्रिया अपनाई जाए, दूसरे इस auction की प्रक्रिया में जो coal blocks के लिए bid किए जाएं, वे आयरन और स्टील निर्माण के लिए किए जाएं तथा ये bids for coal bricks, power जेनरेशन के लिए किए जाएं। तीसरे, वाशिंग ऑफ कोल के उपयोग मे अगर होता है, तो उसके लिए किए जाएं। इसमें एग्जेम्पशन्स दे दिए गए हैं कि जो सरकारी कम्पनियां हैं, Government-owned कम्पनियां है, इनको इस auction के प्रोसिजर से नही जाना है।

महोदय, आज देश में coal blocks का जो आबंटन होता है, उसकी तीन प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया यह है कि सरकार अपनी कम्पनियों को दे देती है, सरकारी तंत्र को दे देती है, सरकारी कॉरपोरेशन्स को दे देती है और उसको सीधो अलॉटमेंट दे दिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया captive dispensation mode है, जिसके बारे में हम विचार-विमर्श कर रहे हैं, जो हम पावर जेनरेशन के खिलाफ तय करते हैं कि उसको auction दिया जाए। तीसरी प्रणाली वह है, जिसमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आते है, जिसमें power bidding होती है, टैरिफ होती है कि हम इतने पैसे में इस पावर को खरीदेंगे और इसके लिए हमें फलां coal blocks दिया जाए। मूल रूप से ये तीन प्रक्रियाएं हैं, जिनके तहत हम coal blocks की bidding करते हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं पहले एक क्लेरिफिकेशन की शुरूआत करूंगा। हम जानते है कि स्टील इंडस्ट्री deregulated है। उसमें कोई regulation नहीं है कि स्टील का कितना दाम रखा जाए, लेकिन आज भी, Power is regulated. You have the State Electricity Commissions. When you are trying to put auction for private bidders for coal blocks, then, there is a conflict. और यह conflict है जहां एक तरफ स्टील deregulated है। अब जब पावर दे रहे हैं तो यह पावर captive प्लांट्स को दे रहे हैं,जो पावर जेनरेट करेगा। पावर जेनरेट करने के बाद वह स्टील प्लांट्स में उपयोग करेगा।

There is a conflict. Has the Government taken into account the conflict between a product, which is not controlled, and, a product, which is power, which is controlled? There is a conflict, which has not been resolved by this Bill. And, how can you have two different streams of policy for a single product. This is one of the things which I want to know.

महोदय, हम जानते हैं कि जब भी हम mining की बात करते हैं, because this is related to coal blocks. And, coal blocks are the source of conventional power generation. Now, when we talk of coal blocks, when we talk about huge mining areas, which have to be excavated, and, coal has to be taken out—earlier it was deep pit mining, now, it is open-cast mining – and, when there is open cast mining, it has major implications. पहले तो आप उस पूरी जमीन को निकालते हैं। वहां के सारे पेड़ काटते हैं और आप जाने से पहले यह तय करते हैं कि इसका घेरा कितना है तथा कितनी दूरी से इसको बनाएंगे। इसलिए coal blocks के mining से पहले एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसका पर्यावरण पर इफैक्ट पड़ता है। इसके बाद आद जितनी दूर तक करते हैं, उसमें vegetation समाप्त करते हैं, उसमें पशु-पक्षी, जानवर और कीड़े मकौड़े भी होते हैं। जब आप excavate करके कोयला निकालते है, तो सतह पर जो मिट्टी होती है, उसको ले जाकर कहीं पर रखते हैं। उसके कारण डिस्पलेसमेंट उत्पन्न होता है। जो बड़ी मात्रा में कोयला निकालना है, उसके लिए रास्ता बनाते हैं, ताकि वहां पर बड़ी-बड़ी लॉरीज़ जा सकें। इससे उसका अपना एक डिस्पलेसमेंट होता है। जब वहां पर बड़ी-बड़ी लॉरीज़ चलती हैं और जब excavation होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम SPM कहते हैं, वह वातावरण में फैलता है, बढ़ता है और सीधे एयर पॉल्यूशन से जुड़ता है। उसका सीधा प्रभाव पशु-पक्षियों पर पड़ता है और इसके साथ-साथ soil-erosion पर भी पड़ता है। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा विषय है। मूल रूप से ऐसी खदानें पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की खदानें होंगी तो निश्चित रूप से soil erosion होगा, जिसका अपने आप प्रभाव है। इन सबके बाद भी हम इस देश में विकास और पावर जेनरेशन आदि सभी विषयों पर बात करते हैं, तो हमारी मंशा यह रहती है कि विकास हो, बिजली का उत्पादन हो और coal blocks का आबंटन हो। लेकिन इसके साथ-साथ हम अंग्रेजी के एक शब्द का उपयोग करते हैं, जिसको sustainable development कहते हैं। महोदय, इस sustainable development का आधार बहुत विस्तृत है। अगर इसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से केन्द्रित करना चाहें, तो sustainable development की डेफिनेशन इतनी wide है कि हर सरकार अपने तरीके से, अपने नियम के तहत, इसको उलट-पुलट करती रहती है। लेकिन हम सिर्फ यह कहेंगे कि निश्चित रूप से पावर की आवश्यकता है। सरकार की नीतियों को लेकर जब कोल मंत्री जी कोल बॉक्स के आबंटन को लेकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री हैं, और क्योंकि पर्यावरण मंत्री जी सभी विषयों पर बड़े धडल्ले से चर्चा करते हैं, बड़े शौक के साथ सदन में जवाब देते हैं, तो मैं इस विरोधाभास के बारे में ...(**व्यवधान**)... राजीव जी। सर, यह मेजर डिस्टर्बेंस है।

श्री उपसभापति : राजीव शुक्ल जी, मिनिस्टर का ध्यान जाता है।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : सॉरी।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: When Mr. Jairam Ramesh was speaking on climate change and global warning, he talked about the year 2020. 2020 की बात करते हैं और कहते हैं क्योटो प्रॉटोकॉल के माध्यम से, बाली ऐक्शन प्लान के माध्यम से हम लोगों ने दुनिया में कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने यह जरूरत तय किया है कि 2020 तक डोमेस्टिक प्रॉडक्ट के आधार पर जो एमिशन है, उसको 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करेंगे। आप एक तरफ पर्यावरण के मामले में इंटरनेशनल अंडरटेकिंग लेते हैं और कहते हैं कि we are taking an undertaking that we will reduce our emissions by 20-25 percent by 2020. This is an international commitment. The Prime Minister is committed to it. The Government is also committed to it. The House is also committed to it. And the people of this country are committed to it. But, at the same time, you take initiatives to enhance the allotment of coal blocks. This is something which is in contradiction to your stated policy on climate change and development issue which you take up. I am sure the Government must be thinking about it. We have an economist Prime Minister. We have an able Minister here who has looked after many other Ministries earlier. I pointed out this contradiction earlier. Steel is in the deregulated sector and power is in the regulated sector. The Ministry of Environment is speaking about something and the Coal Ministry is talking about development of coal blocks. There is a major clash of policies in this country. For example, the Ministry of Non-conventional Energy इस देश का जो अपारांपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग है, उसने नीति तय की है कि इस देश में पावर जेनरेशन का पंद्रह फीसदी should be from non-conventional energy. And this is the stated policy of the Government. The Government, the Ministry of Renewable Energy, has decided that fifteen percent of the energy production, electricity production, in this country should be from the non-conventional energy side. What is the situation today? Today, only three and a half percent of electricity generation is from the non-conventional side. You are talking about energy mix and your are talking about atomic energy. We are working on the Civil Liability for Nuclear Damage Bill, which

we will be discussing in the House shortly. We are talking about hydel power projects which comprise about 37 percent of power generation in the country. We are talking about non-conventional energy. But the major thrust yet today is on coal. As everyone knows, सर, आज से चालीस साल के बाद इस देश में कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली पीक पर जाएगी और उसी समय ऐसा भी वक्त आयेगा कि जब इस देश मे कोयले के खदानों मे कोयले का अभाव हो जाएगा। We know that this is a resource which is exhaustible. Coal is not endless; it is not infinite. Similarly, oil is not infinite. One allotment of coal blocks, there is an aggressive policy as far as the Government of India is concerned. This contradiction has also to be taken into account, because India today stands as the tenth largest country in the world as far as mining operations are concerned. Now these mining operations are not necessarily for the companies located in India. These mining operations are also for the companies located outside India when you want to export iron ore and coal. There are contradictions.

सर, मैं जिस विषय पर आना चाहता हूं, वह यह है कि यह हमारा सदन है और हम इसमें नियम-कानून बनाते हैं। मैं आपको ऐसे चार, पांच छोटे-छोटे उदाहरण देना चाहूंगा जिनसे कि कई बार लगता है कि जब सदन अपना काम पूरा नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से दूसरी संवैधानिक संस्थाएं इसमें हस्तक्षेप करेंगी। यह बार-बार होता है कि जब सदन में नियमों को बनाकर, नियमों के अनुपालन में हम पीछे हटते हैं या हम देश की मंशा के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, तब कहीं न कहीं हस्तक्षेप होता है। ऐसा इस देश में कम से कम दर्जन बार हुआ है कि जब हम लोगों ने अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा तब उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।

When the Parliament failed to recognize its own responsibilities, there has been an intervention by the Supreme court, For example, in 1996, अगर आपको याद होगा, the Supreme Court passed a direction and said that mining activities in Garhwal region would be banned because it was affecting the entire forest cover in the Doon Valley. The Supreme Court intervened. The Parliament had no role to play then. Similarly, if you see further, not very far away, दिल्ली से बहुत दूर नहीं, 2002 में अरावली के region में जब खनन का अभियान चल रहा था, जब छोटे-छोटे कांट्रैक्टर्स मिल कर अरावली के region में निरंतर

खनन की कार्रवाई कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में यह निर्णय लिया कि हम इस क्षेत्र में खनन समाप्त करेंगे। वहां भी हम सब, जिनके ऊपर सदन में जिम्मेदारी है, कुछ करते हैं, ताकि इस तरह का अवैध खनन न हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनन की कार्रवाई न हो। उसी प्रकार आप देखेंगे कि कुद्रेमुख खदान की 30 वर्ष की lease थी और 30 वर्ष समाप्त होने के बाद भी वहां खनन का काम चल रहा था। किसने हस्तक्षेप किया? सदन में कोई कार्रवाई नही हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नही की। किसने हस्तक्षेप किया? सुप्रीम कोर्ट ने आकर कहा कि कुद्रेमुख में खनन का कार्य नहीं होगा।

इसके आगे भी कई उदाहरण हैं, जो बड़े interesting हैं। पन्ना टाइगर्स रिजर्व, इसका वर्ष मुझे ख्याल नही है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां खनन नहीं होगा, क्योंकि यहां वन्य प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार आप देखें, अभी हाल-फिलहाल का, वेदान्त, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कहा कि यहां mining नहीं होगी। इसी प्रकार गोवा में आयरन ओर के बारे में हम निरंतर सुनते रहते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके 18 माइंस पर रोक लगाई और कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

मेरा यह आग्रह है कि जब हम कानून बना रहे हैं, एक तरफ आप कानून ला रहे है कि हम auction की प्रक्रिया को streamline करें और इस auction की प्रक्रिया को streamline करने में नए-नए, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाएं, जिससे इस देश मे खनन का काम हो, विकास का काम हो, बिजली का उत्पादन हो। सुनने में यह बात तो ठीक लगती है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जब-जब सरकार aggressive होकर विकास के नाम पर बहुत आगे चलना चाहेगी, तो पर्यावरण का दोहन होता है। जब पर्यावरण का दोहन होता है, तो हम अपनी अपने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए संस्था, जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई और संस्था है या IPL के माध्यम से इस देश के लोग, जो काम हमें करना चाहिए था, कई बार लोक करते दिखाते हैं। लोगों द्वारा यह काम करने का परिणाम यह होता है कि उसका हस्तक्षेप होता है और तब हमें पीड़ा होती है कि उच्चतम न्यायालय क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। निश्चित रूप से यह सदन को देखना होगा, ताकि उच्चतम न्यायालय को हर बार हस्तक्षेप करके निर्णय न लेना पड़े।

इसके पीछे कुछ और भी विषय हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। 3 मार्च, 2010 को इसी हाउस में एक प्रश्न आया था, माननीय मंत्री जी को ख्याल होगा, प्रश्न संख्या था - 100. It was a Starred Question. उसमें सरकार द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए थे। यह सदन को जानना बड़ा जरूरी है कि आंकड़े क्या थे। सर, एक screening committee है और हमारे मित्र जानते होंगे कि screening committee 2003 के पहले से गठित थी। मैं यह नहीं कह

रहा हूं कि पहले नहीं थी। लेकिन 2003 तक screening committee ने इस देश में captive power generation के लिए कितने लोगों को licenses दिए? महोदय, आप ध्यान से सुनेंगे कि वर्ष 2000 से 2003 तक इस देश में public sector undertakings को मात्र 14 coal blocks दिए गए और उसी दौरान प्राइवेट लोगों को 24 दिए गए। यह तो 2003 तक था। अब चलिए, 2003 तक हमने कुछ दिया, हमारी भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2003 से लेकर 2010 तक की संख्या सुनिए। आप सुन कर दंग रह जायेंगे कि 2003 से लेकर 2010 तक कितनी संख्या है। 2003 से लेकर 2010 तक public sector को 20 कोयले के खदान दिए गए। महोदय, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 2003 से लेकर 2010 तक प्राइवेट लोगों को कितने खदान दिए गए। आप सुन कर दंग रह जाएंगे कि प्राइवेट लोगों को 90 खदान दिए गए। Out of the total, from 2000 to 2010, the number of coal blocks given to the public sector undertakings was only 24, correction 34, and the number of cola blocks given to the private individuals in this country was 130.

सर, इसमें कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सब जानते हैं और इस सदन में जो भी थोड़े-बहुत जानकार लोग होंगे, वे सब भी स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में जानते हैं। लेकन मुझे समझ में नहीं आता कि यह संशोधन लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जिस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता कोल सचिव करते हैं, उसमें CMPDI के अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, NTPC के अधिकारी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अधिकारी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधिकारी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अधिकारी होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अधिकारी होते हैं। जहां-जहां यह संचिका चलती है, उसको चलाने में गति देने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उस विषय के बारे में अभी यहां चर्चा करना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था? कोल ब्लॉक्स का उद्देश्य यह था कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, That means, all those steel industries which require power in the captive sector for manufacture of steel-this is the point to be noted – all these coal blocks were given to all those enterprises which had to manufacture steel, and this power was to be captively generated, captive power generation for steel plants. Sir, do you know the utilization of that? Only 26 percent of these coal blocks as in March 2010 were utilized. यानी इस देश में जो 114 प्राइवेट और सरकारी सैक्टर में दिए गए हैं, उसमें से मात्र 26 फीसदी का उपयोग हुआ है। बाकी 74 फीसदी पावर जेनरेशन कहां गया? वह प्रोडक्शन कहां गया? और, सर, आप इस बात पर ध्यान दें कि आज भी

इस देश में, इस लॉ के अंतर्गत, लोगों ने कोल ब्लॉक्स का कागज़ ले करके पॉकेट में रखा हुआ है। It is like a post-dated cheques. Every Tom, Dick and Harry in this country, who had access to the Government, who had people in the Government, who were influential, have taken these coal block permits and they are carrying them in their pockets and they are going around the country auctioning them, saying that I have a coal block. What is the amount of money I will get from this? And this is exactly सर, लोग 2G की बात कर रहे हैं? When you are talking about 2G, I think there is much more in this than what you are talking about 2G. It simply had gone out of the eyes of the people. But if you see the allotment of the coal blocks, it is one of the biggest scandals which has been taking place in this country under the very nose of this Parliament, and no one has raised his voice. You can find it everywhere; it is happening; it has happened, and it is fortunate that the Government has woken up; it is fortunate that we have realized, but we have to decide and there should be an amendment brought here right away; this amendment should be decided right away that anyone, who has not operationalized those coal blocks, should forfeit his blocks. जब आप यह प्रावधान लेकर आ रहे हैं कि आगे ऑक्शन करेंगे, तो साथ-साथ इसमें यह प्रोविज़न भी लेकर आइए कि जितने कोल ब्लॉक्स अभी तक ऑपरेशनलाइज़ नही हुए हैं, जिनको वे ब्लैक चेक की तरह लेकर बाजार में घूम रहे हैं, अगर उस ब्लैक चेक को अभी तक आपने भुनाया नही है, तो आपको यह अनुमति नही है कि आप उसे ले। सरकार उनको ले करके अभी से ऑक्शन करे। All those coal blocks which have not been taken up, which have not been excavated, there has been no power generation, there has been no steel production, all those should be instantly finished and all those should be put back to auction immediately.

माननीय मंत्री जी, मैं जानता हूं कि आदमी जब सरकार में होता है तो राजा हो जाता है, सरकार हो जाता है, लेकिन अगर आप सरकार से बाहर सोचेंगे, तो इस देश का बहुत बड़ा राजस्व इसमें छिपा हुआ है। महोदय, इसीलिए मैं यह सब बता रहा हूं क्योंकि यह बहुत बड़ा समय है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस विषय पर चर्चा हो, यदि आप नहीं चाहते हैं कि इस विषय पर फिर से कोई बड़ी जेपीसी बैठे, तो मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर जब हम इस सदन के भीतर चर्चा कर रहे हैं कि देश में कहां और कौन है, उनकी सूची आपको देनी चाहिए। वे कौन-कौन से लोग है, जिन लोगों ने इस कोल ब्लॉक को लेकर इस देश में एक बड़ा व्यापार चला रखा है?

महोदय, इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें, तो निश्चित रूप से इस विषय पर जवाब दें। मैं किसी पर लांछन नही लगाना चाहूंगा, लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से स्क्रीनिग कमेटी के सदस्यों के रिकमेंडेशन्स को भेजा जाता था, उस पर ऊपर के स्तर पर पैरवी की जाती थी, और उसके पीछे जो कुछ होता रहा, इस देश के सभी लोगों ने वह देखा है।

दूसरा, जो राज्य सरकार को देने की बात है, आप राज्य सरकारों को आबंटन कर रहे है। You are saying that the State Governments have a right. In the case of public sector undertakings we can understand. In the case of public sector corporations we can understand. But when you are talking about the State Governments, the State Governments will get part of the revenue when the coal is extracted. They get a slice, they get the money on that. It is very good. But when you give a licence to the State Government, the State Governments should also be under a binding that it will not further go into a partnership withy firms which again use that document to bid around in public. यह भी एक प्रॉब्लम है। The State Governments may also look for partners because they feel that investments can't come. When they do a partnership with those people who are there in the market, the credibility of the State Governments is at stake. All those State Governments which have made a joint partnership with individual vendors to extract coal from coal blocks and have not come back to power generation for manufacture of steel, should also be subjected to the same fate as all other coal blocks which have not been utilized so far.

Sir, this is a very important Bill. This Bill relates to the nation. The Bill relates to the environment. This Bill relates to the wealth of the country. This Bill relates to the people's future. I would also make a very humble request. With all humility, I would request the hon. Minister that he should institute an inquiry; he should find out all those coal block which have not been exploited so far; and in the interest of the nation take a decision. We all will stand by you in that action. Thank you.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman. I rise to express my observations on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008.

While commenting on the Bill, I would like to question the very concept, the very propriety of offering coal blocks to the private sector. It is permissible under law. It was being offered to the private sector through a particular procedure. Now you want to change that procedure. I am not going into the veracity of that. I am challenging the very concept from the experience of coal blocks being handed over to the private players in the country. Coal is a precious natural resource and the country is the owner of it. The Government, a few days ago, while discussing the petroleum and natural gas, had asserted this concept. Taking a cue from that assertion, let me say that coal is a vital mineral resource and it is a national property, and it can be operated, in the best interest of the country, be a Government-owned entity, that is, the public sector. So, I am challenging this very concept. The Coal India must be the nodal agency to handle this precious natural resource and the sectors which are using coal as a vital ingredient or input should have a supply linkage with Coal India. Instead of taking this legislative initiative for introduction of auction and so on and so forth, it should have been in the area of ensuring statutory supply linkage to vital sectors like power, fertilizers, steel, cement, etc. With the Coal India or the designated entity which will be handling this natural resource, the national property, should do it in a people-friendly, in an environment-friendly and in a national interest-friendly manner. The track record of the coal blocks which are handled by the private sector is that they have been offered them for a pretty long time. From the track record we understand the cruel fact that this precious natural resource is not safe in their hands, nor is the national interest safe in their hands. So, I question the very premises.

What is the experience? Sir, just now my friend, Rajiv Pratap Rudyji has spoken about it. According to my information, out of 228 coal blocks that were offered to the private sector for captive use, more than 200 still remain inoperative. That allocation has been utilized as a post-dated cheques in the speculative market for raising unjust money by depriving the small investors and various other investors of that kind. If you switch over to auction, this situation is not going to change. You don't have the machinery or mechanism to discipline them. It is proven by the spread of reckless illegal mining in this country.

You don't have the machinery to discipline them. You are handing it over. You are strengthening your mechanism; you are suggesting a mechanism, but that is not going to solve the problem. Sir, the hon. Minster, while moving the Bill, said, "This Bill is meant for efficient utilization of coal resources". Out of 228 coal blocks, 200 are inoperative. Does it speak of efficient utilization? That sprang from the very concept of placement of natural resources in the private hands. Sir, coal mines were nationalized in 1972-73 and the whole process was completed in 1976 when the privately leased coal mines were taken back by the Government. But, again, sometime, in 1991, you changed the system and there started the reversal of the nationalization process which was done in 1976 in the best interest of the nation. You have started reversing the whole nationalization process. That has led to more deficiency, more loss of natural resources and that has not been of any use. The record proves it. Out of 228 coal blocks, 200 are inoperative. Still you are pushing through that line. How is the country going to benefit? Leaving exploration or exploitation of country's coal reserves to private players will set in motion the process of reversal of the nationalization of coal mines, besides, inevitably, giving rise to various negative phenomenon and hazards in the area of rehabilitation of the dislodged people, environment problems, conservation of the precious natural resources and minimizing the wastage by ensuring deep mining, mining in depth, appropriate technology in mining, safety of the workers. It is an absolute utopia to expect the private sector to take care of these national and social requirements while mining in the captive blocks. They are more expert in illegal mining, which by itself gained ominous eminence in captivating the enforcement and Government machinery to carry on the loot of precious natural resources in an un hindered manner. This is a matter of serous shame. Sir, there is another important paradox by the private sector orientation policy of the Government, by reversing the process of nationalization. While the virgin coal blocks are being offered to the private exploitation and majority of them are remaining unexploited, unutilized and in many cases mis-utilised by the private entities, the Coal India, a Navratana Company in the public sector is being made to rush after acquiring coal blocks in Australia. उनको देश में कोई कोल

ब्लॉक नहीं मिला। They are being pushed to take over coal assets in Australia. One of the reasons they are giving is, in our country the kind of quality that is required, we are not getting and for getting that particular quality, we are going to Australia. That is not the fact. Have you ever made a serious stock-taking of the coal reserves in our country? The Standing Committee has specifically recommended that bring out a White Paper. More than one year before, on 19, February, 2009, the Standing Committee has given unanimous recommendation of bringing out a comprehensive White Paper, giving a total picture of our coal reserves, quality-wise, category-wise. Different sectors require different kind of quality of coal. So they have been told to bring out a White Paper. The recommendation of the Standing Committee is very specific that before offering coal mines to private sector, please ascertain in how much water you are standing; what is in your hands; how much you have to keep for the Coal India and how much you have to give for power and cement; and what quality to which sector. Without ascertaining all this and just changing from a particular modality to a different modality, I do not know how it is going to serve the interest of this sector and the economy. It is an absolutely ad hoc measure being taken.

So long, the State was enjoying; now, the Centre must enjoy. That is the basic principle in switching over to an auction procedure. I am sorry; this kind of an approach is not at al accepted.

Secondly, Sir, there is one crucial recommendation of the Standing Committee, and I quote: "The coal blocks in the reserved forest, protected forest, should not be allotted, to save forest, environment and local population." To ensure, rather to prevent such a possibility, this clause should have been incorporated in the Bill. Otherwise, how can you ensure that? You cannot statutorily ensure it, even by putting a condition in the auction document. Rudyji has also reiterated on that aspect. You have not done that. I do not know why you have not accepted this basic recommendation, which was the unanimous recommendation, of the Standing Committee.

Finally, the Bill contains nothing on the rehabilitation and resettlement of the people who will be affected, by way of dislocation because of the handling over of coal blocks to private hands for their exploitation. In this respect also, the Standing Committee was specific in its recommendation. The implementation of this Bill involves multiple agencies, say, the State Governments, the Central Government, your so-called committees, etc. So, when it is being handled by these multiple authorities, if you do not have a concrete clause in the body of the Bill itself, on a matter of rehabilitation, resettlement, livelihood and loss of the project-affected people, how can you ensure this important task? People will be dislodged. For whom are these coal blocks and for whom are these natural resources? These are for the people. How can you ensure that? The Government should have accepted this unanimous recommendation of the Standing Committee and incorporated a suitable clause through an official Amendment in the Bill, if they were really serious about resettlement and rehabilitation of the project-affected people. So, this is also one of the serious shortcomings which needs to be corrected.

The hon. Minister also stated that Government companies will be out of the picture; that is, they will not be included in the auction process. The manner it is projected, it looks as if you are making a special consideration to the public sector. Before me, in fact, Rudyji has exposed the truth. What is the record? When you say that Government companies will not be included, in the present day policy architecture of Neo-liberal economy, when you are hostile to public sector, it means, you are discriminating the public sector. And, that is what the record shows. From 2003 to 2010, only 34 blocks were allotted to PSUs, and 130 were allotted to private players. Out of them, 120 have not yet been made operational. It is being used as a post-dated cheques for minting money in the market. What is this whole exercise meant for?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRI TAPN KUMAR SEN: I am just concluding, Sir. This is a matter of record. The Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Visakhapatnam, in the last years, has been commissioning and

producing steel profitably for the nation. But since the last ten years, they have been knocking from door-to-door for a captive iron ore. They are entitled for a captive coking coal block. They are knocking from door-to-door, and what they are receiving is only a knock on their face by your Central Government authority, by your State Government authority. So, by keeping out the public sector, you are not making a consideration; by keeping out the public sector, you are institutionalizing a mechanism to promote private, corporate interest at the cost of public sector companies. And, this is quite obvious when you also decide to disinvest in the coal industry; the Coal India Limited is another Navaratna company. These are all inter-linked economic policy decisions, and these cannot be encouraged.

I am on my last point, Sir. The same is the record as far as SAIL is concerned. They have developed Chiria mine; they have spent hundreds of crores to develop that mine. And, their lease was discontinued. Now, they are knocking at your door.

They are not getting back that mine. There are many other examples. That is why SAIL, RINL and NTPC together have formed a joint venture to acquire coal property abroad. The manner in which the Navaratna companies – which are paying back to this Government and contributing to the national economy by way of heavy dividends, taxes and other incomes are being tackled in the matter of offering iron-ore and cola linkage is such that they are being compelled to form joint ventures to find coal assets and mining assets abroad. You are pushing them out and allowing the national soil to be looted by the private sector. This is not supportable.

I would make my last point before concluding, Sir. You are offering coal block to different companies. Who will operate? Those companies will not. They will give it to private contractors for mining. The workers are the worst sufferers. Again, because it is competitive bidding, there will be competitive cuts on wages, social security and their living conditions. This is happening in the entire mining area. That is why the mining areas are the hotbed of extremist politics. You are provoking that kind of a situation.

So, my suggestion is, even if you do it through auction, in the auction document a condition must be put that workers in those coal blocks must be paid in terms of the benchmark set by the Coal India Limited, through their National Coal Wage Agreement-VII. On that standard, the coal block workers should be paid the wages and that must be a conditionality in the auction document and this Bill must also include a provision like that. Then only, it will look a bit rational, a bit humane and show that you are serious in containing the loot that is going on in the mining industry in our country.

With these few words, I record my strong opposition to this Bill and conclude my remarks.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): * Hon'ble Vice Chairman of Rajya Sabha, on behalf of my party DMK, I support this amendment bill which seeks to amend the principal Act, that is, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 with the insertion of a new section in clause 11. Accordingly I would like to express my views in this august House. This amendment should have been brought twenty years ago. Because, some private institutions which are involved in mining activities of Indian mines are paying very low amount to the Government as licensing fee and are selling valuable mineral resources to foreign countries at a high price. Those minerals are resold at expensive prices in Indian markets for manufacturing electrical and electronic materials. For instance, iron ore which was exported from India during the period between nineteen forties and nineteen fifties, was sold as cars and machinery in nineteen seventies and nineteen eighties with hundred percent to tow hundred percent increase in prices. Taking all these points into consideration, the Union Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh in which we are also a part, have come forward to regulate mining activity in India by bringing an amendment in this bill.

I heartily welcome this amendment. It would strengthen Indian economy in future. When auctioning is introduced for allocating mining and acquisition of mineral rights, it has been decided to provide some special relief to power generating companies. This is a welcome measure.

---

*English version of the Origiinal Speech in Tamil.

Sir, at the same time, I think that it is not right to consider all organizations at equal measure. There are three kinds of organizations such as Government organizations, Non Government organizations or private sector organizations run by Indians, and foreign institutions. All these three institutions should not be treated alike by the Government. Some special concessions have to be given to power generating Government organizations and private sector organizations run by Indians. For providing acquisition of mining rights and coal to power generating Indian companies, the Government of India have to fix a nominal licensing fee during the first five years of power generation. Such special concessions should not be given to foreign institutions. Because, if such special concessions are given to foreign institutions also, we have to depend more on them for our power requirements. Moreover, in the next forty to fifty years, they would grow to the extent of influencing our economy. Therefore, I would like to warn that special concessions should not be given to foreign companies. Our industrial sector have to be protected. We should not assume that foreign institutions are more capable than indigenous institutions. Our Tamil poet Marudha Kasi expressed the same point fifty years ago.

"What is the resource that is lacking in this country;

Why should we depend on foreigners".

It has been mentioned in the explanation to this Act that the minerals obtained form Indian mines are not enough for our needs. I cannot accept this view. There is no mineral that is not found in India. India has very rich deposits of mineral resources. But, I would like to point out that the Government of India is not showing much interest in exploring those mineral resources in various states of India and is very lethargic in this respect.

When our DMK party came to power in Tamil Nadu in the year 1967, our founder leader Peraringar Anna, the Great Genius demanded the Union Government that an iron industry should be established in Tamil Nadu in order to explore the iron ore present in Tamil Nadu. He gave a call to the people of Tamil Nadu to observe an awareness day on 23rd July, 1967 in order to draw the attention of the Government to establish an iron industry in Tamil Nadu. So many struggles took place throughout Tamil Nadu.

Our incumbent Chief Minister of Tamil Nadu and our leader Dr. Kalaignar, also led various struggles then. On 21st March, 1970, the National Development Council Meeting was held. Our leader Dr. Kalaignar declared that he would participate in the National Development Council Meeting if the Union Government give assurance in the fourth five year plan that an iron industry would be established in Tamil Nadu. Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, accepted his demand and announced in Parliament on 17th April, 1970 that his demand for the establishment of iron industry in Tamil Nadu would be included in the draft of fourth Five year Plan.

After a gap of five months, on 16th September, 1970, foundation stone of Salem Steel Plant was laid in Salem, Tamil Nadu, by Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India. Our leader Dr. Kalaignar presided over the function.

Second stage expansion of the plant has been recently considered and accordingly 1,750 crores of rupees have been allocated for modernization of the plant. On 5th June, 2008, Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India and Shrimati Sonia Gandhi, the UPA chairperson inaugurated this modernization plant. It has to be observed that only after forty years of its establishment, steps have been taken to modernize the Salem Steel one. Still, the plant is not a full-fledged plant. Three thousand seven hundred fifty three acres of land had been acquired when Salem Steel Plant was established. More than one thousand eight hundred farmers had been displaced. But they have not yet been given any employment.

This steel plant is used for manufacturing stainless steel, minting coins and polishing iron plates to manufacture household utensils. When Salem Steel plant is converted into a full-fledged plant, only then could the demands of India be fulfilled. Though this project was established forty years ago, the main objective behind its establishment is not yet fulfilled.

Whenever a new mining activity is undertaken, wherever a new resource is explored, the inhabitants have to face many difficulties during land acquisition. Therefore, during such exploration

of mining resources and mining activity, people should be paid proper compensation. They could be given a share of the profit. If faith is instilled in their heart that they would also be benefited by the project, they would not approach courts for their rights. At least fifteen percent of the profit has to be given to the landowners. Only then will they agree for land acquisition without any opposition.

Sir, I would like to say a few words about Namakkal district of Tamil Nadu. Geological Survey of India had conducted a survey in twenty three villages of Paramatti Taluk of Namakkal district in Tamil Nadu. It covers an area of three thousand acres of land. When they drilled bore wells at fourteen places of the above said twenty three villages, they discovered Platinum, the costliest metal. Many layers of platinum ores are found at thirty metres depth in these villages. We should make some more efforts to find more minerals. ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): ...*(Interruptions)*...

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, many layers of Platinum are found in Namakkal district of Tamil Nadu. Similarly, at Sivaganga district of Tamil Nadu, mineral resources of carbide are found. Six to seven private sector companies are acquiring those resources now. The Government should take steps to acquire those resources by establishing many Government owned organizations. Not only in Tamil Nadu, but also in other states, mineral resources are abundant. It is appropriate that mining activity should be allocated to Government organizations only. If mining activity is given to private companies, proper care has to be taken. One hundred to thousands acres of land has to be acquired for a mining project. If such a large area is allotted to private companies, many problems arise due to encroachment of neighbouring villages and forest areas. Therefore, I would like to emphasize that the Government's participation in mining should be expanded. Law alone is not enough. If all the mineral resources of India are explored, I am sure that India will become the only superpower in the world.

3.00 P.M.

Sir, I request the Government that two lakh crores of rupees may be allocated for the Department of Mines and Minerals every year to explore all mineral resources present in various states of India. It that is done, India will become a superpower. Once again, I would like to submit that I welcome this Bill.

Whatever initiative is taken by the Government, it would be usually opposed by my colleagues in the opposition parties. I request them not to oppose this bill and also request them to support this bill like me. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Dr. Ramalingam, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, on that day, he sought only clarifications. ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, on that say, I was in the Chair. I am saying this only for information. At that time, the Calling Attention Motion was being discussed. So, I myself gave a ruling that on a Calling Attention that rule prevails. Therefore, you could speak only for five minutes. So, that cannot be treated as a maiden speech. This should be the maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Okay. Please continue.

DR. K.P. RAMALINGAM: *

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Thank you, Sir. I was listening to my friend, Mr. Rudy. He talks about selling of licences, selling of coal blocks, etc. Shri Sen says that the Centre is trying to take away the wealth of the State Governments. One feels sad. All my friends sitting there – I do not see Ms. Mabel now – from Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, in poorer State and in Bihar coal is abundantly available besides other minerals. Mr. Handique is there. Why is

---

*Spoke in Tamil

a policy being adopted to impoverish the States and enrich the mine owners? In the case of public sector company, Coal India, whose role was being lauded by A. Tapanbabu from the CPM, I do not consider Coal India as sacrosanct because incompetence, inefficiency and corruption in Coal India are of tremendous proportions. We cannot just hold is up as a Navratna or Maharatna public sector, to argue that privatization by itself is bad. But the way huge number of coal blocks have been given and the way and the manner in which these people have been able to access all those blocks, all this leaves a bitter taste in the mouth. I wish the Government looks at giving us back a part of the wealth. Consistently it has refused to increase royalty on coal on a sound basis. When in a State like Rajasthan or Gujarat or Andhra Pradesh oil is discovered, the Government knows pretty well that it is going to get 20 percent advalorem royalty. We are given a piddling amount. Mr. Handique also never bothered about the boom in the price of iron ore. When the boom was there, the royalty remained at Rs.5000 to Rs.7000 per tonne on iron ore, the States were getting royalty between Rs.4 and Rs.27 per tonne for the best possible ore, which is a price of 0.4 percent, at the most. They never thought of anything except imposing an Export Duty to mop up some of the huge profits of the mine owners. Sir, 30 percent was the royalty that five States' Chief Ministers came and demanded repeatedly, knocked a the doors of the Centre but got absolutely nothing. Meanwhile, the mine owners repared lakhs of crores. Had we got even 20 percent, Orissa would have got Rs.50,000 crores, Jharkhand would have got another Rs.30,000 crores, Chhattisgarh would have got around Rs.25,000 to Rs.30,000 crores and the same would have been the case with Bihar, Bengal, etc. Why did you deny all this? Why did you enrich them? What are your motives? After seeing that people did not vote for you, you realized the importance and imposed a 10 percent ad valorem. To little to late.

Why can't you make it 30 percent? Why Can't you make it 30 percent on coal? You will say, 'Oh! no, the power tariff will increase.' Tariff increases it tomorrow you use gas. Tariff is not uniform throughout the country. Tariff increases even if you take coal from Orissa and give it to Maha-Guj,

(Maharashtra-Gujarat), the two corporations along with Adani to produce power in Maharashtra and Gujarat. But you deny. You deny us the opportunity, then, talk of tax, wind fall tax. The Minister of Mines has been talking about wind fall tax to be taken away by the Centre. Who is going to take this bid money? Nothing is there in the bill. Shri Tapan Sen perhaps was right when he thought that you wanted to take up some wealth out of this. This is the greed. If you wanted to do it, why did't you follow up this NELP principle, NELP 1, NELP 2, NELP 3, NELP 3, NELP 4 etc. The bidding has been going on for oil blocks, hydrocarbon blocks. You could have done the same and between the Centre and the State the proceeds would have been shared, though I am not a votary of sharing that with the Centre but something would have been worked out. Please increase royalty. Least you can do it is at 20 percent ad valorem. If you don't do it, maybe a stage will come pretty soon when people in thee States will not allow a single ton of coal to go out. Please mark my words, to a question of mine: "Are there any parameters which you have decided on how to bid?", the reply given was: No parameters. You have allotted to PSUs 34 blocks. For some States you have given more proportionately and some States you have given less. In case of Orissa it has been less. But the basic issue is, are you going to take away the huge profits or are you going to allow the States to get the money or fight over it? Please try to amend this. Why do you want to give to the companies engaged in washing of coal, i.e. to coal washeries? What is the value addition that they do? This is not for, as far as power is concerned, as far as steel is concerned, not iron and steel or any other metal. It is fine but not for coal washeries which is just at the intermediary stage and not for such other end use as the Central Government may by notification prescribe. Why do you keep this with yourself. May I suggest to the Minister to have a total re-look at this? Please remove these two clauses. You can go ahead with you bidding. Whole money be given to the States and royalty be increased to 20 percent ad valorem. This is the least you can do and, then, we can support this Bill.

SHRI M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I support the attitude of the Government in bringing this legislation which aims for selection process for auction/ bidding for the allocation of coal. But, the action of the Government is like willing to wound, but afraid to strike. By introducing

provisos (a) and (b) to Section 11A, it has watered-down the letter and spirit of this Amendment Bill.

Regarding Proviso (a), my colleague, Mr. Rudy, dealt it extensively. So, I don't want to repeat it. But, during these days, the Government corporations are forming joint ventures with private partners in the name of equity, investment, technology, etc. So, this will lead to backdoor entry of private people to get coal blocks without participating in competitive bidding process. It breeds corruption, nepotism and also favoritism. That is why I am requesting the hon. Minister, through you, to bring an official amendment to delete proviso (a) as well, so that there will be some sanctity, because now the Government has woken up and decided to allot blocks through competitive bidding. Through this method, people will get something out of the coal blocks.

The second is regarding proviso (b). Under this, the Ultra Mega Power Projects are excluded. Sir, the UMPP have already been allotted, in the name of captive power generation, 3.7 billion tones reserves of coal blocks.

I wish to quote a reply given to a query raised in the Committee on Subordinate Legislation. It says, 'Imported coal-based thermal power stations, particularly at coastal locations would be encouraged based on their economic viability.' With regard to UMPP, it mentioned about the shelf of imported coal-based projects and likely benefits during the Twelfth Plan. They are: Ultra Mega Mundra Unit 3, 4 and 5, Gujarat, Ultra Mega Krishnapatnam, A.P., Ultra Mega T.N., Essar Power Salia, Gujarat. Already they garnered 3.7 billion tones.

In the same way, there is also a list of imported coal-based projects for likely benefits during the Eleventh Plan. They are: Sikka Ext., Adani Power Pvt., Ltd., Mundra, Trombay TPS, JSW Energy, Ratnagiri, Torangallu U1, U2, Lanco Nagarjuna, Adani Power Pvt. Ltd., Mundra, Ultra Mega Mundra U1, 2. All these plants have already got their coal blocks in the name of captive generation.

Now, your are making a provision exempting the UMPPP. And, I want to bring it to the notice of the hon. Minister a query raised by power sector in the Standing Committee. It says, '...power sector, therefore, cannot pay a higher price that the steel and the cement sector can afford to...Viewed in this context, competitive bidding would lead to a sectoral imbalance.' This is the query from the power sector. The Government reply says and I quote, 'For efficient allocation of resources, inter se priority has to be decided not on subjective considerations but on objective parameters.' If it is so, why this Amendment Bill has been brought? When the Government itself has given such reply to a query by power sector, there is no need of giving any priority or exemption. Why should the UMPP get the benefit? The same UMPP got the coal blocks with reserves of 3.7 billion tones. The unit cost of UMPP is also not cost-effective. They are taking into account on the basis of coal imported to calculate the cost of a unit. Also, if you look into already allocated blocks, as my friend mentioned, as per my information, it is not 130. It is only after 2005, when the UPA-II Government formed, 168 coal blocks were allotted to private companies – either individuals or companies.

About 50 blocks were allotted to individuals and 180 blocks were allotted to joint ventures, in the name of sponge iron or steel or cement or private power projects. One thing I want to bring to the notice of the hon. Minister is, Jindal was allotted coal blocks which have the reserves of 3,300 million tonnes whereas he required just about 22 million tonnes per annum. What is the rationale in allotting those coal blocks when he required just 22 million tones. This was for iron, power and steel projects. About 3,300 millions tonnes of reserves were allocated to this company alone. This is people's wealth. If it goes to only one individual or one corporate sector, if the entire wealth is acquired by one individual, it will not be a right thing in a democratic society. Another glaring example is this. So many things are there, Sir, I am having a list with me. Many coal blocks were allotted to private people, public sector people in the name of sponge iron and also in the name of steel, power. In 2005, Jaiswal Naco Limited was allotted in North Karanpura in Jharkhand 215 million tonnes of coal blocks whereas he required only 1 million tonnes per annum. It was allotted for sponge iron ore projects.

As far as Andhra Pradesh is concerned, the rich people, want to grab wherever they find wealth. When it comes to Navbharat and Lanco, these people got 112 million tonnes. But I do not think these companies have even started capital generation. ...*(Interruptions)*... So, the Minister has to take cognizance of this.

Then, one GVK was allotted 69 million tones of reserves for power generation. They wanted to start one gas-based power station, but I do not know whether these people are having any thermal power project or not. Till now, that has not started.

Sir, squandering of coal wealth to all these people is not advisable. What I want to suggest to the hon. Minister is that the licences/ allocations of those private people who got allotment of coal blocks but have not yet started exploration be deallocated immediately. Also, some inquiry in the matter should be instituted. It is a big scandal. It has happened from 2005 to 2010. Some inquiry by the CBI should be instituted. When this Bill is passed, when the coal blocks re auctioned, the amount that will be collected, based on that amount just like TRAI has given a proposal in 3-G spectrum case, whatever rates apply to 3-G should be applicable to 2-G spectrum something should be collected from the old blocks also either in the form of tax or something else. So, something should be collected from the old blocks also. It is nation's wealth, it is people's wealth. We are the custodians of the people's wealth. We cannot squander the people's wealth at our whims and fancies. With this, I am concluding. I am supporting the Bill, but I am opposing the provisions (a) and (b) to clause 11A.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : श्री श्रीगोपाल व्यास।

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : सर, कुछ बोलना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : वह तो बाद में बोलेंगे।

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, अमेंडमेंट है, अभी बोल सकता हूं या बाद में बोल सकता हूं?

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : बोल दीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकर : उपसभाध्यक्ष जी, बहुत सारे सदस्यों ने कोयला खदान के बारे में सब कुछ कहा है, लेकिन कोयला इतना काला होगा, यह पता नहीं था। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 200 से ज्यादा कोयले के खदान बांटे गए। सर, हमारे देश के पास कुल मिला कर 270 बिलियन टन का coal reserve है। यह 200 जगहों पर 49 बिलियन टन बांटा गया। देश के खदान का 20 फीसदी रिजर्व बांटा गया। इसकी आज की कीमत क्या है? अगर average price लगाएंगे, तो 50 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन डॉलर्स के खदान का आबंटन हुआ है। उसमें निजी लोगों को 23 बिलियन टन दिया गया है और राज्य सरकारों को यानी उनके कार्पोरेशंस को 26 बिलियन टन दिया है, यानी आधा-आधा दिया गया है। लगभग 25 लाख करोड़ के कोयले के खदान निजी कम्पनियों को दिए गए हैं, जिसके एवज में सरकार को कुछ नहीं मिला है। ये मुफ्त में बांटे गए। वैसे तो सरकार मुफ्त में कोई चीज़ बांटती नहीं। लेकिन जो पैसा सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, यह मुद्दा है। इसलिए इसमें क्या हुआ है, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र मिनरल कार्पोरेशन, यह तो सरकार की संस्था है। इसको 4 ब्लॉक्स दिए गए। मिनरल कार्पोरेशन खुद खनन करने वाली नहीं थी, क्योंकि इसका नाम तो मिनरल कार्पोरेशन है, उसने 3 ब्लॉक्स में प्राइवेट लोगों के साथ joint venture किया और 750 करोड़ upfront ले लिया। 200 से ज्यादा ब्लॉक्स बांटे गए हैं। इनमें 3 ब्लॉक्स में एक राज्य सरकार का निगम 51 फीसदी मिलिक्यत अपने पास रख कर 750 करोड़ upfront ले रहा है। अगर 200 लोगों को उसी समय यह auction से किया गया होता, तो कितना पैसा मिला होता! Auction के निर्णय में बहुत देरी हुई है। We are too late. इसमें अनेक लोगों ने अभी काम शुरू भी नहीं किया है, जिनके बारे में वर्णन किया गया कि वे post dated cheque लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस हैं।

इसलिए मेरी पहली मांग है, जिसको मैं दोहरा रहा हूं, जिसकी अनेक लोगों ने मांग की है कि यह वापस ले लिया जाए। जिन्होंने काम शुरू नहीं किया, ऐसे सारे coal blocks वापस ले लिए जाएं और उनको भी नीलाम किया जाए। इससे सरकारी खजाने में पैसा आएगा। The Government treasury will be full. One trillion dollars of coal was allotted without any credit to the treasury. यह तो windfall है, for the private companies. उनके conditions ऐसे थे कि इसमें कुछ चंद कंपनियां ही बैठेंगी। उसमें coal washeries भी बैठेंगी। बाकी सब जो बताया, वह तो सही है। इसीलिए मैंने amendment दिया है। मैंने इसमें 11(b) introduce करने के लिए कहा है। मैंने यह कहा है, "The old allottees of coal blocks shall be charged at the average price of the different type of

coal through competitive bidding." अभी जो नीलामी होगी, उसमें जो प्रति टन औसत कीमत आएगी, वही average price, जिनको पहले से दिया गया है, उन पर भी charge करना चाहिए, तभी level playing field होगा। अन्यथा जिनको पिछले 4-5-6 सालों से खदान मिला है, उनको तो windfall profit है। उसमें एक अपवाद है। जिन्होंने बिजली के लिए price competition किया है और Ultra Mega Power Project लिया है या दूसरा कोई प्रोजेक्ट लिया है, चूंकि कोयला लगभग मुफ्त मिला है, क्योंकि रॉयल्टी कुछ है ही नहीं, आप रॉयल्टी के लिए 10 फीसदी कीमत भी नहीं ले रहे हैं, जो आज बाजार मे है, इसलिए अगर 2000 का कोयला निकलता है, तो केवल 160-170 रुपए की रॉयल्टी आ जाए।

मेरी दूसरी मांग है कि रॉयल्टी के रेजीम पर भी पुनर्विचार किया जाए। पहले इतनी कम रॉयल्टी इसलिए रखी गई थी, क्योंकि उस समय सभी खदानें सरकार की ही होती थी। जब खदानें ही सरकार की होती थी, तो सरकार कम रॉयल्टी लगाती थी, ताकि उनसे जो मैटल और बाकी प्रोडक्ट्स बनेंगे, वे सस्ते हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी कम थी, लेकिन अब रॉयल्टी कम रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपको सबके लिए रॉयल्टी का रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिनको पहले 218 ब्लॉक इंस्टॉल हुए हैं, उनमें से 134, जो निजी कंपनियों को दिए गए हैं और फिर अब जिनको दिए जाएंगे, अगर आपको उनका level playing field तैयार करना है, तो उनसे भी वही कीमत चार्ज की जानी चाहिए। यह अमेंडमेंट इसलिए दिया गया है और मंत्री महोदय को यह करना पड़ेगा। नये खदानों को बेचते समय या एलॉट करते समय जो खुद नीलामी स्वीकार करेंगे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वह तो ठीक है, लेकिन अगर आप संसद से पूछेंगे, तो सभी हां कहेंगे।

स्क्रीनिंग कमेटी काम कैसे कर रही थी? हमारे सीपीएम के एक मित्र हैं, जो अभी यहां नहीं हैं, लेकिन परसों हमारी Committee on Public Undertakings की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय इस्पात के लोग आए थे। राष्ट्रीय इस्पात ने वहां प्रेजेंटेशन दिया, उनको कोल चाहिए, खदान चाहिए, लेकिन उनको कोल नहीं दिया जा रहा है। जो खदान उनको देते भी हैं, वह इतनी दिक्कत भरी जगह पर होती है कि वहां आप खदान खोद ही नहीं सकते। You cannot mine. ऊपर से रेल जा रही है, बाजू से नदी जा रही है, इसलिए असलियत में वहां खदान खोदना संभव है, लेकिन कागज पर खदान है, इसलिए राष्ट्रीय इस्पात को आप वह खदान एलॉट कर रहे हैं। यह तो सरकार की नीयत पर निर्भर है कि वह इस तरह की बात कर रही है। अभी कोल गैसिफिकेशन के पांच ब्लॉक्स दिए गए, पांचों ब्लॉक्स को सरकारी कंपनियों ने मांगा था, लेकिन उनको नहीं दिया गया, वह ब्लॉक्स निजी कंपनियों को दे दिए गए। सर, यह लूट है। इतना बड़ा स्कैंडल आज तक नहीं हुआ है।

सर, मैं केवल पांच मांगों के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरी पहली मांग है, पिछले छः साल में, एलॉटमेंट में जो 200 से ज्यादा धांधलियां हुई हैं, निजी कंपनियों को 120 से ज्यादा ब्लॉक्स दिए गए हैं, इस स्क्रीनिंग प्रोसेस पर जेपीसी बैठा कर पूरी जांच होनी चाहिए।

मेरी दूसरी मांग है कि कोल वॉशरीज़ और बाकी कंपनियों ने, जिन्होंने अभी खदान शुरू नहीं किए हैं, उनके ब्लॉक्स वापस लिए जाएं।

मेरी तीसरी मांग है कि रॉयल्टी रेजीम के नियम और दरों में बदलाव किया जाए और उन्हे ठीक किया जाए, ताकि सरकारी खजाने में पैसा आए। मेरी अगली मांग है कि स्टैडिंग कमेटी ने जो कहा है कि transparent auction process होना चाहिए, जो कि बिल में नहीं दिया गया है।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर मुझे जवाब चाहिए। अभी आप दो काम एक साथ कैसे कर सकते है? अभी आप जो नीलामी करेंगे, उनको तो competitive bidding में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह एक दर से कोयले की निर्मिति कैसे होगी? इनका कोयला निर्मिति का खर्चा इतना अधिक होगा, मान लीजिए कि 1000 रुपये होगा, लेकिन जिनको आपने पहले खदानें आबंटित की हैं, उनका खर्चा केवल 170 रुपए हो रहा है। इसलिए अभी नीलामी में जो एवरेज प्राइस आएगा, जिनको पहले ब्लॉक्स बांटे गए हैं, उनको भी वही कीमत लगाई जानी चाहिए, मेरी यह विनती स्वीकार की जाए। इन्हीं मांगों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, I would like to say something here.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All right. You may take two-three minutes.

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

माननीय मंत्री जी, पहले से इस पर बोलने के लिए मेरा नाम तो नहीं था, लेकिन अभी मैंने कुछ प्रावधानों को पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे है, अगर आपके द्वारा इन सवालों का निराकरण होगा, तो बड़ी कृपा होगी।

आपका जो Coal Mine (Nationalisation) Act है, उसके अंतर्गत या तो भारत सरकार या भारत सरकार का कॉर्पोरेशन या कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी, जिसका कोल माइनिंग के मैमोरेंडम में प्रावधान है, माइनिंग कर सकते हैं।

आपके एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह निर्णय किया था कि आप captive mine कब देंगे। आपने पावर, स्टील इत्यादि को एक कोर सेक्टर बनाकर रखा हुआ था, नोटिफिकेशन करके। मुझे इस एक्ट में और Coal Mines (Nationalisation) Act में थोड़ा-सा अंतर्विरोध दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर आप उसे स्पष्ट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

आज की तारीख में आप Coal Mines (Nationalisation) Act के अंतर्गत जब किसी को माइनिंग के लिए दिया करते थे, तो माइनिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, वह Mines and Minerals Development Act के अंतर्गत होता था, लेकिन power to allot आप Coal Mines (Nationalisation) Act के अंतर्गत exercise किया करते थे। आपने Coal Mines (Nationalisation) Act में कोई परिवर्तन करने का निर्णय नहीं किया है। आपको मालूम है कि काफी पहले स्टैंडिंग कमेटी की एक अनुशंसा भी आई थी कि Coal Mines (Nationalisation) Act में यह संशोधन किया जाए कि उसमें प्राइवेट कम्पनीज़, जो core sector में काम करना चाहती है, उनको coal mining और reconnaissance की अनुमति दी जाए। इस पर बहुत चर्चा हुई थी। आपने Coal Mines (Nationalisation) Act में परिवर्तन की अनुशंसा नहीं मानी और आप Mines and Minerals Development Act में परिवर्तन करके इस बात का प्रावधान कर रहे हैं कि प्राइवेट कम्पनीज़, जो लोहा बनाती है, जो power sector में है और जो coal washing में हैं, उनको आप reconnaissance permit या mining lease देंगे। यह आप उनको bidding auctions से देंगे, जिसके बारे में अभी प्रकाश जावडेकर जी ने कुछ बातें कहीं। उसमें transparency की व्यवस्था क्या होगी, यह आप बताएंगे। लेकिन, इन दोनों कानूनों में एक अंतर्विरोध दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए मैंने इस विषय को उठाया है। The Coal Mines (Nationalisation) Act does not permit a private player.

आपको याद होगा कि आपने एक रास्ता निकाला था 1999 में, 2001 में और 2005 में, जिसमें आपने प्रदेशों को कहा था कि आपकी जो mining corporations हैं, अगर वे कोल की mining lease देंगी तो हम दे देंगे और अगर वे चाहें तो private sector के साथ MOU कर सकती हैं। राज्यों को भी आपने यह कहा था कि उनकी जो

Government mining corporations है वे ही coal mines ले सकती हैं। अगर यह पाबंदी आपके Coal Mines (Nationalisation) Act में अभी भी है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें private players को परमिट कर रहे हैं। इस तरह इन दोनों में थोड़ा अंतर्विरोध हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी भी कोल की माइनिंग के संबंध में Section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act प्रभावी है। यह जो Mines and Minerals Development Act है वह एक general Act है और यह सब में लागू होता है, लेकिन जहां तक कोयला का सवाल है, that is governed by the Coal Mines (Nationalisation) Act and under the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, there is no provision for any private sector to get a coal mine in terms of Sector 3. ये जो दोनों अंतर्विरोध हैं, इनको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? माननीय मंत्री जी, हम आपसे इसका उत्तर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि The Mines and Minerals Development and Regulation) Amendment Bill पर हमारी राज्य सभा के लगभग सारे दलों के सम्मानित सदस्यों ने सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की है। उन्होंने छोटे-छोटे संशोधनों को हमारी सामने परस्त किया, सदन में प्रस्तुत किया। स्वाभाविक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपने-अपने angle से और अपने-अपने चिंतन के अनुसार यह चाहते हैं कि जब यह amendment हो ही रहा है तो यह भी हो जाए। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं।

माननीय अहलुवालिया जी, आदरणीय आर.सी. सिंह जी, परवेज़ हाशमी साहब, राजीव प्रताप रूडी जी, तपन कुमार सेन जी, के.पी. रामालिंगम जी, श्री प्यारीमोहन महापात्र, श्री एम.वी. मैसूरा रेड्डी, प्रकाश जावडेकर जी ने अपनी बातें कही हैं और अन्त में हमारे पूर्व कोयला मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने हमें वैधानिक बातें बतलायी हैं। मैं उनकी तरह वकील तो नहीं हूं कि विधान और संविधान की व्यापक व्याख्या कर सकूं, लेकिन मैं इतनी व्याख्या जरूर कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है, वह हमारे जेठमलानी जी सरीखे किसी बड़े कानूनविद् की राय से ही किया जा रहा है। इस संशोधन के माध्यम से हम जो कुछ करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा पहलु यह है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ कोल ब्लॉक्स का अलॉटमेंट करना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट रूट को अलग कर दिया गया है। मेरा उनसे इतना ही अनुरोध है कि क्या राज्य सरकारें भी बिल्डिंग प्रोसैस के माध्यम से आएंगी? क्या पीएसयूज़ की बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से ही आएंगे? उनके लिए तो पृथक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी यह कहना कि राज्य सरकारों के लिए जो अलग चैनल खोला गया है, गवर्नमेंट रूट के लिए जो अलग चैनल खोला गया है, वह चैनल भी नहीं खोला जाना चाहिए, मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई उचित बात होगी।

माननीय प्रकाश जावडेकर जी ने बड़ी तगड़ी पेनल्टी इम्पोज़ करने की वकालत की है कि जिन लोगों को पहले ब्लॉक्स दिये गये थे, अब वर्तमान समय में बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से ब्लॉक की जो कीमत आये, उसको उन अलॉटीज पर भी इम्पोज किया जाए, जिनको पहले कोल ब्लॉक्स अलॉट किये गये थे। जावडेकर जी, ऐसा संभव नहीं होगा। सिद्धांत रूप से हमारे दिल में कहीं न कहीं यह दर्द है, जो आपके दिल में है कि वे मुफ्त में ब्लॉक ले गये। अगर अब इस प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा तो 10-20 साल, रवि शंकर प्रसाद जी जैसे वकील पूरे देश में उपलब्ध हैं, ये सारी चीजें फिर से कोर्ट में लटक जाएंगी। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : ये लटका भी देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : ये लटका भी देंगे। सदन के बाहर ये यही करते भी हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपके जैसे मंत्री अगर ऐसे आदेश पारित करेंगे तो समस्या जरूर होगी। देश में यह भी तो अधिकार है। ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आपको तो पूरा अधिकार है। मेरा इस सदन से एक ही अनुरोध है कि जैसे-जैसे समय बीतता है, एक कानून बनाया जाता है और उस कानून को इम्पोज किया जाता है। जब देश की पावर रिक्वायरमेंट तेजी के साथ बढ़ रही थी और तत्कालीन सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं था कि हम कोयले से ही पावर का उत्पादन करें तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों न हम इसमें प्राईवेट प्लेयर्स को भी उतारें, जो जल्दी से जल्दी कोल माइनिंग करके हमारे देश की कोयले की कमी को पूरा करें। इसी उद्देश्य से कोल ब्लॉक्स आबंटित भी किये गये। इसके लिए कोल सेक्रैट्री की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी बनायी गई, जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के आफिसर्स शामिल किये गये। उन लोगों ने कोल ब्लॉक्स का आबंटन किया। आबंटन करने के बाद जब 7-8 साल लग रहे हैं और केवल 10 से 20 परसेंट कोल ब्लॉक्स ही उत्पादन में आ पाये तब यह प्रश्न उठा कि क्या कारण है कि इन ब्लॉक्स का उत्पादन तेजी के साथ नहीं बढ़ पा रहा है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा कारण हमारे देश की बदलती हुई परिस्थितियां हैं।

किसी ज़माने में land acquisition करना आसान हुआ करता था, लेकिन आज के युग में land acquisition करना कोई साधारण काम नहीं है। Land acquisition के अलावा किसी ज़माने में forestry clearance, environmental clearance उतना difficult नहीं होता था, जितना difficult आज के ज़माने में है। मैं मानता हूं कि

यह difficult होना भी चाहिए। हमारा काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा coal की mining करें और Ministry of Environment का काम है कि वह ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा करें। मैं इसको गलत कतई नही मानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सारी प्रक्रिया में 5 से 7 वर्षो का समय लगता है। अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने काह कि 7 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन coal blocks में अभी तक production शुरू नही हुआ है। यह लंबी प्रक्रिया है और लंबे समय में ही इन coal blocks में production शुरू हो सकता है, फिर भी ऐसे बहुत से लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, जिन्होंने इन coal blocks को किसी जमीन-ज़ायदाद की तरह आबंटित कराया है और अब वे इसे नही चाहते है। उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नही है। इसी वजह से भारत सरकार को मजबूर होकर यह अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। हम genuine players को लाना चाहते हैं। हम प्राइवेट सैक्टर का उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन जो genuine private players हों, उन्ही को हम लाना चाहते है। जो bidding process के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएगा, उसको हमें genuine ही मानना चाहिए। जब तक यूं ही मिल रहे थे, तब तक genuine भी आए और false भी आए, लेकिन अब जब पैसे के माध्यम से मिलेंगे, bidding के माध्यम से मिलेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा genuine लोग ही आएंगे, false की गुंजाइश नहीं होगी।

श्री आर.सी. सिंह : करीब-करीब 100 से ज्यादा coal blocks, पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं, उनके लिए तो मंत्री महोदय ने कुछ नही कहा है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैंने आपको सारी बातें बताई है और जो स्पष्ट करना रह गया है, वह भी मै बताऊंगा। मैंने कहा कि यह प्रक्रिया 3 साल से लेकर 7 साल तक की है, लेकिन मैं इस बात से इंकार नही करता हूं कि कुछ लोगों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा मैंने अभी स्पष्ट रूप में कह दिया है कि उन्होंने जमीन-जायदाद की तरह उसका आबंटन करा लिया और लेकर बैठे हैं। ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए ही यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है कि आखिर इसका तरीका क्या है - कैसे हम private players का भी सदुपयोग करें, कोयले का उत्पादन भी बढ़ाएं, राज्य सरकारों और PSUs को इस bidding process में न लाएं, उन्हें सीधा आबंटन करें और देश की कोयले की कमी को भी पूरा करें। हमारा उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य की वजह से लगभग सारे राजनीतिक दलों ने सिद्धांत रूप में इस अमेंडमेंट का स्वागत किया है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Are you going to de-notify those who are not mining since last ten or fifteen years after getting the block? This is not clear in the Bill.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : एक साल पहले मैंने अपनी मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई थी, जो जितने भी coal blocks आबंटित किए गए हैं, उनका बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रही है कि कौन से coal block holders ऐसे हैं, जो forestry clearance न मिलने के कारण उत्पादन शुरू नहीं कर पाए हैं, कौन से coal block holders ऐसे हैं, जो environmental clearance न मिलने की वजह से production शुरू नहीं कर पाए हैं, कौन से coal block holders ऐसे हैं, जो land acquisition न हो पाने के कारण production शुरू नही कर पाए है, कौन से coal block holders ऐसे है, जो वास्तव में किसी genuine कारण की वजह से production शुरू नहीं कर पाए हैं?

मैंने उसका आकलन करके आपको बताया कि लगभग 25 से लेकर 30 परसेंट तक कोल ब्लॉक होल्डर्स ऐसे हैं, जिनको हम false मानते हैं। लेकिन हम अध्ययन बहुत बारीकी के साथ कर रहे हैं ताकि जल्दबाजी में हम कोई काम न करें, जिससे माननीय रवि शंकर प्रसाद जी जैसे वकील हमारे द्वारा किए गए फैसले को 10-20 साल के लिए कोर्ट में अटका दें, इसलिए हम जल्दबाजी में कोई काम नही करना चाहते हैं। लेकिन हमने दस कोल ब्लॉक्स रद्द भी किए हैं। जो सरसरी तौर पर समझ में आए ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : दस नही आठ।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : दस रद्द किए गए थे, बाद में फिर दो और दिए गए थे। जो सरसरी तौर पर नजर आए, उन कोल ब्लॉक्स को रद्द करने की प्रक्रिया जारी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो false कोल ब्लॉक होल्डर्स हैं, उनको चिन्हित करने के बाद हम ऐसे ब्लॉकों को रद्द करने की पूरी कोशिश करेंगे। जावडेकर जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से हम सिद्धांत रूप से सहमत हैं, आप जो कहना चाहते हैं, हम भी उसको महसूस करते हैं, लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम नही चाहते हैं कि यह प्रक्रिया लंबे समय तक लटक जाए। लेकिन हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी कोशिश यह होगी कि ज्यादातर फर्जी लोगों के कोल ब्लॉक्स को हम रद्द कर दें।

कोल सैक्टर के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि कुछ आयरन और स्टील producers के कोल माइन्स को छोड़कर देश में अधिकांश मेजर कोल माइन्स का राष्ट्रीयकरण 1972-73 में हुआ था। 1976 में 'Coal Mines Nationalisation Amendment Act, 1976' अस्तित्व में आने के बाद आयरन और स्टील

procducers के कोल माइन्स को छोड़कर अन्य सभी प्राइवेट लीज होल्डर्स के माइनिंग लीजेज़ को टरमिनेट कर दिया गया था। जून, 1993 में Coal Mines Nationalisation Amendment Act, 1993 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत आयरन और स्टील producers के अलावा पावर जेनरेशन और कोल माइनिंग करने की स्वीकृति दी गई थी। पुनः इसी एक्ट में सीमेंट producers को भी end users मानते हुए कैप्टिव कोल माइनिंग के लिए प्रावधान को 15 मार्च, 1996 को notify किया गया। इसके बाद कोल गैसिफिकेशन, underground and surface both, के माध्यम से सिमगैस का उत्पादन और coal liquefaction को भी end users मानते हुए कैप्टिव कोल माइनिंग के लिए प्रावधान को 12 जुलाई, 2007 को notify किया गया।

मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान बिल के माध्यम से कोल सैक्टर का privatisation करने का कोई इरादा नही है। कुछ माननीय सदस्य और हमारे वामपंथी साथियों को शायद यह भय लग रहा था कि हम इसको privatise करना चाहते हैं। इसको privatise करने का कोई इरादा नही है। कोल इंडिया तेजी के साथ flourish करेगी, निवेली लिग्नाइट तेजी के साथ flourish करेगी और हम कोल इंडिया, सिंग्रेली और निवेली लिग्नाइट को भारी मदद देंगे। ये कंपनियां हमारे देश की सर्वोत्तम कंपनियों के रूप में उभरें, हमारा यह प्रयास होगा। लेकिन आज की कोल requirement को देखते हुए हम genuine private players को जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे। अगर हम अपनी ग्रोथ को, देश की ग्रोथ को दस परसेंट की दर पर ले जाना चाहते हैं, तो तेजी के साथ industrialization करना होगा और अगर तेजी के साथ industrialization करना चाहते हैं, तो आज की तारीख में कोल सबसे बड़ा factor है, जिसका उत्पादन हमें ज्यादा से ज्यादा करना होगा और उसी का प्रयास कोल मिनिस्ट्री कर रही है। उसी प्रयास की एक कड़ी के रूप में हम इस amendment को भी लेकर आए हैं। इसके माध्यम से देश में कोयले की उपलब्धि बढ़ाने, growing coal demand को पूरा करने के लिए transparent manner में कैप्टिव माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक्स का आबंटन करने के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

Nationalized coal sector देश में कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए dominant role play करता रहेगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं। वांछित गति से नए coal mines का विकास करने की क्षमता में कमी तथा इसके लिए त्वरित गति से नई technology, skilled manpower और state of the art equipment प्राप्त करने में लगने वाले लंबे समय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा captive end user को captive mining के लिए coal blocks आबंटित करने के संबंध में यह पॉलिसी तैयार की गई है।

मैं समझता हूं कि सदन में हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात की जानकारी दे ही दी है कि 215 coal blocks का आबंटन पहले किया गया था, जिनमें से 10 को निरस्त किया गया और 10 में से 2 coal blocks को ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, how much time will you need?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, 10-15 मिनट ...(**व्यवधान**)... क्या मैं अभी conclude कर दूं? रवि शंकर जी, क्या मैं conclude कर दूं? आप तो तैयार ही हैं। ...(**व्यवधान**)... चलिए, मैं जल्दी conclude करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): People have raised so many points.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is answering every question.

SHRI T.K. RANGARAJAN: No. ...*(Interruptions)*...

THE VICE- CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is doing that. He has answered in brief.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : चलिए, मैं balance स्थापित करता हूं। सर, टोटल 207 coal blocks adopt किए गए थे। रूडी साहब ने फिगर्स कुछ गलत दिए थे, इसलिए मैं उसको clear करना चाहता हूं, तो Government sector में 96 coal blocks दिए गए थे। शायद उनका कहना था कि 36 या 46 थे, ऐसा कुछ वे बता रहे थे। Private sector में 99 दिए गए थे और UMPP को 12 coal blocks दिए गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री आर.सी. सिंह : आपके तथ्य सटीक नहीं लग रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have already asked one question.

श्री आर.सी. सिंह : क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि 138 blocks को हमें रिटर्न कर दिया जाए, कोल इंडिया ने मांगा है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ठीक है, बैठिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मेरा माननीय सदन से इतना ही अनुरोध है कि एक बात, जिस पर शायद लोगों में अभी भ्रम है, वह मैं जरूर और clear कर देना चाहता हूं कि इस bidding process से, competitive bidding से

प्राप्त प्रीमियम की समस्त धनराशि संबंधित State Governments को दे दी जाएगी। इसका कोई भी अंश भारत सरकार नही लेगी। यह एक सबसे विशेष बात है, जिसकी इस competitive bidding system में व्यवस्था की जा रही है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि power, iron, steel, cement sector से blocks की bidding अलग-अलग कराई जाएगी, ताकि किसी प्रकार का sectoral imbalance न बने। यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। अलग-अलग bidding से उसी sector में engaged companies में ही competition होगा।

सर, मैं यह समझता हूं कि करीब-करीब सारी आशंकाओं को हल करने की हमने कोशिश की है। माननीय सदन से मैं अनुरोध करता हूं कि इस अमेंडमेंट को सर्वसम्मति से पास करे और हम उम्मीद करते है कि इस अमेंडमेंट के बाद ...**(व्यवधान)**...

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Ultra Mega Power Project got licence ...*(Interruptions)*... Again, you allotted the blocks.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, UMPP के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है, वह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : रॉयल्टी के बारे में कुछ कहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : रॉयल्टी के संबंध में अभी 2010 में ही हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो इस बात का अध्ययन कर रही है कि स्टेट्स को और रॉयल्टी कैसे दी जा सकती है? थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद रॉयल्टी के संबंध में शायद आप लोगों को कोई शिकायत न रहे। सर, मै इन्ही शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे पास किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, Thank you. ...*(Interruptions)*...

No, no. No time is left. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, he has not replied to a very important question which is very relevant to this Bill. The public sector companies are kept outside the competitive bidding. I would given a specific example of Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam.

4.00 P.M.

The are knocking from door to door to get captive coking coal blocks and they are given the most uneconomic mines, whereas, the private sector is being allotted the economic mines. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, the Minister state that the genuine private players come and give proper bids and how bid amounts will be appropriate when they are unsure of crossing the Jairam Ramesh hurdle. That is a big hurdle.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज इस बिल के पास हो जाने के बाद captive coal mining के लिए जो भी पब्लिक सैक्टर की यूनिट्स की हमारे पास applications हैं, उन सबको entertain किया जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIEN): Now, the question is:

That the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008 be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. Clause 2. There is one amendment No. 3 by Shri Prakash Javadekar.

श्री श्रीप्रकाश जावडेकर : सर, मेरे अमेंडमेंट के बारे में जो मैंने सवाल उठाया, उसका तो जवाब दिया ही नहीं है। He has not replied. He said, 'inability'.

वह penalty नही लगा सकते। It is not a matter of penalty. See, you cannot create two distorted regimes wherein one set of people will get the mines by auction and the others who have got it free, they should be charged. I asked Jethmalaniji and he also confirmed because he was referring to his name. It is legally possible. You must assure that you will look into this.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैंने माननीय जावडेकर जी की शंका का समाधान करने की कोशिश की है। जावडेकर जी, यह लीगली possible नहीं है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इसको आप withdraw कर लीजिए। इसके लिए अगर कोई और विकल्प नजर आएगा तो उस विकल्प को लाने की हम कोशिश करेंगे।